

उपस्थित हुए। अर्थात् उपस्थित
किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षीय ०
17.21 लगभग 28 व 1 से 4 के जवाब हेतु नियत दिनों
27.5.22 को पेश हो। आगामी दिनों तक जारी अर्थात्
निषेधाज्ञा बढाई जाती है।

27/5/22
उपपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी सजावली
कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पबरिक्त है।
अतः पत्रिपत्नी दिनांक 28.5.22 को पेश हो।
पूर्व के आदेश अन्वयत रहगा
रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

23/6/22
उपपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी सजावली
कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पबरिक्त है।
अतः पत्रिपत्नी दिनांक 28.7.22 को पेश हो।
पूर्व के आदेश अन्वयत रहगा
रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

8-6-22 प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किये जाने से
पत्रावली सिंगह से तलब की गई, प्रार्थना
पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना
पत्र से प्रार्थी ने निवेदन किया कि विपक्षीय
के विरुद्ध प्रकरण में आगे कोई कार्रवाई

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही

मही-चाहता है प्रकरण में कार्यवाही इसी
स्तर पर ड्रॉप फरमाया जावे।
मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रमुख
प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर मन्म किया। न्याय
हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
प्रकरण में प्रार्थी द्वारा विपक्षीयों के विरुद्ध कोई
कार्यवाही नहीं चाहते से प्रकरण इसी स्तर
पर ड्रॉप किया जाता है। प्रकरण में जारी
अस्थाई निषेधाज्ञा श्वारीय की जाती है। पत्रावली
कैबल कुमार होकर मूल वाद पत्र के साथ
संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

मांडल जिला भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
18/05/2024